<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या - 2/2018/24/38-10-2018-24/17टीसी1</u>

प्रेषक,

डा0 हरिश्चन्द्र,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक : 13 फरवरी, 2018

विषय : मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या : 01/2018/13/38-10-2018-24/17 दिनांक 22 जनवरी, 2018, जिसके द्वारा प्रदेश में **"मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना"** लागू की गई है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 के अनुसार योजना के अन्तर्गत ग्रामों के सर्वे/ चिन्हांकन हेतु व्यवस्था निर्धारित की गयी है। ग्रामों के सर्वे/चिन्हांकन के उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उक्त मानदण्डों के आधार पर ग्रामों का चिन्हांकन कर सूची आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

3- यद्यपि विभिन्न जनपदों की भिन्न-भिन्न परिस्थितियां हैं और उक्त योजना में ग्रामों के चयन हेतु वर्णित आधार के आधार पर जनपद में अर्ह ग्रामों की संख्या में व्यापक भिन्नता सम्भव है, जिसके कारण कदाचित अंतिम रूप से उन्हीं ग्रामों का चयन, चरणबद्ध विकास हेतु हो सकेगा, जो कि सर्वाधिक पात्र हैं। फिर भी अपने जनपद से उपरोक्तानुसार आधारों के आधार पर पात्र ग्रामों की सूची दिनांक 22 फरवरी, 2018 तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4- कृपया यह भी ध्यान रखा जाए कि अपने जनपद के 05 प्रतिशत से अनधिक राजस्व ग्रामों की ही सूची भेजी जाए, ताकि राज्य के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत अतिशय बड़ी सूचियों की संख्या से बचा जा सके।

5- उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 22 जनवरी, 2018 के प्रस्तर-4 में दी गयी व्यवस्थानुसार जनपद के ग्रामों का सर्वे/चिन्हांकन कराते हुए चिन्हित ग्रामों की सूची आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग को निर्धारित समायान्तर्गत अवश्यमेव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
डा0 हरिश्चन्द्र
विशेष कार्याधिकारी।

http://bhasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या- 2/2018/24(1)/38-10-2018-24/17 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. समस्त संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, ऊर्जा, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, समाज कल्याण, व्यवसायिक शिक्षा, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वन, खाद्य एवं रसद, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, दुग्ध विकास, कृषि व संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।